<u>**प्रकरण क्र० 4336/2022**</u>

<u>**शासन वि० गोविंद कुमार ध्रुर्वे**</u>

Witness No.........05..........for......**अभियोजन साक्ष्य** ....Deposition taken the...**02/08/2025**.day of **शनिवार** Witness's apparent age......**52**...........

States on affirmation **शपथ पूर्वक**.My name is **ईश्वर साहू**

S/W/H of......**श्री सुरित साहू** *Occupation किसानी*

Address **साकिन–सिंघनपुरी वार्ड नं–04 थाना भोरमदेव, जिला–कबीरधाम छ०ग० ।**

साक्षी को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण समय 12.00 बजे प्रारंभ किया गया ।

01. साक्षी ने न्यायालय उपस्थित आरोपी गोविंद कुमार ध्रुर्वे को जिला अस्पताल कवर्धा में देखा था तब से मैं जानता हूं । आहतगण सियाराम एवं नीलकंठ को जानता हूं जो मेरे गांव के है । घटना वर्ष 2022 की सुबह लगभग 08–09 बजे की है । घटना के दिन मैं कवर्धा आया था तभी मुझे हेमलाल यादव द्वारा फोन करके बताया गया कि ग्राम झंडी स्थित सरपंच के घर के सामने दो मोटरसायकल का सड़क दुर्घटना हो गया है तब मैं सीधे जिला अस्पताल कवर्धा गया, जहां पर देखा कि उक्त दुर्घटना से सियाराम के सिर एवं पैर में चोट आई थी तथा कान तरफ से खून निकल रहा था । सियाराम को उचित उपचार हेतु एम्स अस्पताल रायपुर ले गया । पुलिसवाले मेरा बयान नहीं लिए थे ।

नोटः– इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पुछे जाने की अनुमति चाही गयी, विचारबाद अनुमति प्रदान की गयी ।

02. मुझे यह जानकारी नहीं है कि दुर्घटनाकारित मोटरसायकल का क्रमांक सीजी 09 जेसी 5126 था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दुर्घटनाकारित वाहन के चालक द्वारा वाहन का तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सियाराम के मोटरसायकल को ठोकर मार दिया । मुझे जानकारी नहीं है कि दुर्घटनाकारित मोटरसायकल को आरोपी गोविंद राम ध्रुर्वे चला रहा था ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

03. यह कहना सही है कि घटना के समय मैं कवर्धा में था । यह कहना सही है कि घटना होते हुए मैं नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि घटना किसकी लापरवाही से हुआ है मैं नहीं बता सकता । यह कहना गलत है कि घटना आहत की लापरवाही से हो सकता है । यह कहना सही है कि मैं आरोपी का नाम नहीं जानता हूं । यह कहना सही है कि नीलकंठ मुझे फोन नहीं किया था, साक्षी स्वतः कहता है कि हेमलाल फोन किया था । यह कहना सही है कि पुलिसवाले मेरा बयान लेखबद्ध नहीं किए थे । यह कहना सही है कि मैं एक्सीडेंट होने वाले वाहन का नंबर नहीं जानता हूं ।

साक्षी का परीक्षण समय– 12:20 बजे समाप्त ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया

उसने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही/-
{कु. वर्षा गुर्दे}
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कवर्धा
जिला कबीरधाम(छ0ग0)

सही/-
{कु. वर्षा गुर्दे}
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कवर्धा
जिला कबीरधाम(छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर